ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016 तक

भाग-एक

1 प्रस्तावना

{क} ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 **की धारा** 118 **में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या** PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 **दिनांक** 07-04-16 **द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन, विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि** 4/13 **से** 3/16 **तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।**

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति जगतम्बा देवी	23-01-10 से 22-01-16
2.	श्री दिलबाग सिंह	23-01-16 से अधतन

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राज कुमार	12-03-12 से 31-05-13
2.	श्री राजीव कुमार	13-04-13 से अधतन

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्र0 सं0	पैरा स०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {लाखों में}
1.	4	हस्तगत राशि को कम दर्शाने बारे ।	0.02
2 .	6	निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना ।	0.06
3.	7	पंचायत राजस्व की वसूली शेष पाया जाना ।	0.24
4.	8	अनुदान राशि का अवरोधन।	7.19
5.	9	निर्माण कार्य पर अधिक राशि का खर्च करना ।	0.06
6.	10	औपचारिकताओं को बिना पूर्ण किए क्रय करने बारे ।	2.77
7.	11	क्रय की गई सामग्री का भंडारण न करना ।	2.06

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन, विकास खण्ड काँगड़ा, तहसील व जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 **से** 31/03/2016 **के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक** 06-07-2016 **से** 14-07-2016 **तक के दौरान पंचायत कार्यालय समीरपुर चकबन में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह** 01 /14,01/15 **व** 03/16 **तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह** 08/13, 02/15 **व** 05/15 **का चयन किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गए हैं।**

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना /अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन , विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 **से** 3/16 **तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹5000/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -** 171009 **को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या** : 119 **दिनांक** 14-07-16 **द्वारा सचिव,पंचायत समीरपुर चकबन से अनुरोध किया गया।**

4 वितीय स्थिति

ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 **से** 3/16 **के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी** :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन के अवधि 4/13 **से** 3/16 **तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण** :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	9625	65065	74690	40731	33959
2014-15	33959	29898	63857	30665	33192
2015-16	33192	65692	98884	65523	33361

{2} अनुदान :- ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन के अवधि 4/13 **से** 3/16 **के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है** :-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2013-14	74941	2691673	2766614	2654323	112291
2014-15	112291	2408984	2521275	2325678	195597
2015-16	195597	2773996	2969593	2251001	718592

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	अनुदान का नाम	जमा राशि
1.	KCC ZAMANABAD	20146006100	MNREGA	142
2.	KCC KANGRA	20033022813	SABHA FUND,3RD STATE ,IAY,TSC,13TH F.C,VKVNY,ZP,SDP, NBA,GRDY	112962
3.	KCC ZAMANABAD	50055691194	14TH F.C	636979
			कुल जमा राशि	**₹ 750083**

बैंक समाधान विवरण :-

(क)**दिनांक** 31-3-16 **को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष** (1+2):- ₹ 751953

(ख)**दिनांक** 31-3-16 **को बैंक में कुल जमा राशि** :- ₹ 750083

(ग) **हस्तगत राशि** :- ₹340

(घ) कुल जमा :- ₹ 750423

अन्तर :- (घ-क):- ₹1530

अन्तर का कारण :- दिनांक 23-05-13 को ₹3526 हस्तगत थी जबकि दिनांक 23-5-16 को ₹1996 दर्शाई गई। इस प्रकार रोकड़ वही में ₹1530 कम दर्शाए गए अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सचिव ,ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन द्वारा उक्त ₹1530 को रसीद संख्या 255428 दिनांक 14 -07-16 को लेखा परीक्षा के दौरान जमा करवा दिया गया है जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है । भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।

5. रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते }नियम 2002 **के नियम** 4 (1) **के अनुसार नियम** 3 **में दर्शाई बजट सहिंता संख्या** 01 **से** 50 **में वर्णित आय**

पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा। यह खाता पंचायत निधि खाता-क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह, नियम-3 में सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता -ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है। अत: नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता-क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 नियमों के विरुद्ध तीन बैंक बचत खातों का खोला जाना :- हि०प्र० प्रदेश पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है। जिसमे से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनो से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4(1) के अनुसार तीन बैंक बचत खाते खोले गए है। अत: नियमों के विरुद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए एक अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।

5.3 वर्गीकृत सार (Classified abstract) को तैयार न करने बारे :- हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार का एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वितीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -2 में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जबकि सचिव द्वारा केवल एक हजार तक की राशि हस्तगत रखी जा सकती है , जोकि {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 10 (3) **के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है । अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ।**

7 पंचायत राजस्व ₹ 0.24 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व -स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-16 **तक पंचायत के राजस्व ₹ 024 लाख की वसूली शेष थी । जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या** :-120 **दिनांक** 14-07-16 **द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन को अवगत करवा दिया गया है । अत: उक्त बकाया राशि को वसूलने हेतु ठोस प्रयास किए जाएँ ।**

1 ग्रहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	32400	16200	48600	31320	17280
2014-15	17280	18800	36080	-------	36080
2015-16	36080	18600	54680	31080	23600

8 अनुदानों से प्राप्त राशि से ₹ 0.69 लाख अधिक व्यय करने बारे

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 **को अनुदान** SDP **व** GRDY **के शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः** ₹49524 **व** ₹19476 **इन अनुदानों में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई जो कि अनियमित है । इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए अन्यथा उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए व अनुपालना से ऑडिट को अवगत करवाया जाए । व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए ।**

8.1 अनुदान ₹7.19 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1}के अनुसार दिनांक 31-03-16 **तक अनुदान ₹718592/- उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था ,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के**

साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा । **अंकेक्षण अधियाचना संख्या** :116 **दिनांक** 14-07-16 **द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव , ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया । अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।**

9 निर्माण कार्य पर ₹ 5980 अधिक खर्च करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्य पर स्वीकृत राशि से ₹ 5980 **अधिक खर्च किए गए । जो की एक गम्भीर मामला है । ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने पर सचिव, ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन द्वारा निम्न अधिक खर्च राशि को रसीद संख्या**: 255429 **दिनांक** 14-7-16 **को ऑडिट के दौरान जमा करवा दी गई है जिसकी जमा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है । भविष्य में निर्माण कार्यों की स्वीकृत राशि से अधिक राशि न खर्च की जाए व इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।**

क्र0 सं0	वर्ष	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका व पृष्ठ	स्वीकृत राशि / मूल्यांकित राशि/प्राप्त राशि	व्यय की राशि	अधिक खर्च
1.	2014 -15	**राजकीय प्राथमिक पाठशाला समीरपुर में शोचालय निर्माण**	5424 **पृष्ठ** 54 **से** 56	77000	82980	5980
				कुल अधिक खर्च		**₹ 5980**

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2. 77 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 67(4) **व** 67 (5)**द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 2.77 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया । जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण**

अनियमित व आपत्तिजनक है ।अंकेक्षण अधियाचना संख्या :117 **दिनांक** 14-07-16 **द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

11 क्रय की गई ₹ 2.06 लाख निर्माण व अन्य सामग्री का भण्डारण, भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 69**व** 72 (1)(**ए,बी,सी,व डी**)**के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म** 25 ,26 ,27 ,**व** 28 **में लेखाकन किया जाना है ।परन्तु पंचायत के अवधि** 04/13 **से** 3/16 **तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 पर ₹ 2.06 लाख की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है ।जो की एक गम्भीर अनियमितता है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या** :117 **दिनांक** 14-07-16 **द्वारा सचिव,ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।अत: उक्त बारे मैं स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।**

12 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , सकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 29 **से** 31 **के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है । अंकेक्षण अधियाचना संख्या** : 118 **दिनांक** 14-07-16 **द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत चकबन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।**

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	संदर्भित नियम	फर्म संख्या
1.	ग्रह कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77 (4)	10
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर		
3.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर		

4.	**निर्माण कार्यों का रजिस्टर**	95 (1)	31
5.	**डाक टिकट रजिस्टर**	**61 (2)**	**24**
6.	**रोकड़ बही व बैंक पास बुक मिलन सारणी**		

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि॰प्र॰ पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 **के नियम** 73 **के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक** 6 **माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।**

14 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते}नियम 2002 **के नियम** 93 (ए)(1) **के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।**

15 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है ।

16 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है ।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेा, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 11/2016—खण्ड—1—5010—5013 दिनाँकः17.09.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत समीरपुर चकबन, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0),

को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट – 2 पैरा -6 के सन्दर्भ में

सामान्य रोकड़ बही :-

क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	राशि
1.	09-05-13	129	3526
2.	23-05-13	131	3526
3.	19-07-14	160	1146
4.	13-01-16	37	6180

=11=

परिशिष्ट -3 पैरा -10 के सन्दर्भ में

(क)स्व स्त्रोत + अन्यअनुदान

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	29 , 08/13	135	स्टेशनरी	8925
2.	40 , 11 /13	142	बजरी	7500
3.	53 , 11/13	146	रेत,बजरी,बोल्डर पत्थर	14325
4.	99, 02/15	184	रेत .बजरी	13800
5.	105 , 02/15	185	रेत,बोल्डर	9700
6.	109, 02/15	185	सरिया	18994
7.	28, 05 /15	18	रेत,बजरी ,बोल्डर पत्थर	8460
8.	29, 05/15	18	ईंटें	14000
			जोड़:-	**₹95704**

(ख) मनरेगा :-

क्रम संख्या	वा॰ संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	40 , 08/13	84	रेत , ढुलवाई	40000
2.	47 , 08/13	84	रेत	4200
3.	48, 08/13	84	बजरी,रेत	7000
4.	50 , 08/13	84	सैटरिंग	4760
5.	51, 08/13	84	बजरी , रेत	4480
6.	52, 08 /13	84	रेत	3900
7.	53 , 08/13	84	सैटरिंग	4016
8.	54, 08/13	85	रेत,बजरी	12500
9.	55, 08/13	85	सैटरिंग	9700
10.	56, 08/13	85	रेत,बजरी	13750
11.	57, 08/13	85	सैटरिंग	8256
12.	59, 08/13	86	रेत,बजरी	11000
13.	63 , 08/13	86	रेत,बजरी	9250
14.	64, 08/13	86	पी.वी.सी.पाइप व वायर	3200
15.	73, 08/13	86	रेत,बजरी	14500
16.	56से 58 , 02/15	121	सैटरिंग	23400
17.	21, 05/15	123	रेत,सैटरिंग	7800
			जोड़ :-	**181712**
			कुल जोड़ (क+ख):-	**₹277416**

=12=

परिशिष्ट -3 पैरा -11 के सन्दर्भ में

(क)स्व स्त्रोत + अन्यअनुदान

क्रम संख्या	वा॰ संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	29 , 08/13	135	स्टेशनरी	8925

2.	40 , 11 /1	142	250cft बजरी	7500
3.	53 , 11/13	146	220cft रेत,115cft बजरी,75cft बोल्डर पत्थर	14325
4.	99, 02/15	184	200cft रेत .300cft बजरी	13800
5.	105 , 02/15	185	200cft रेत,150cft बोल्डर	9700
6.	109, 02/15	185	399 kg सरिया	18994
7.	28, 05 /15	18	80cftरेत,120cft बजरी ,280cft बोल्डर पत्थर	8460
8.	29, 05/15	18	2000 ईंटें	14000
			कुल जोड़:-	₹95704

(ख) मनरेगा :-

क्रम संख्या	वा० संख्या ,माह/वर्ष	रोकड़ बही पृष्ट संख्या	विवरण	राशि
1.	40 , 08/13	84	350 cft रेत ,	24000
2.	47 , 08/13	84	150cft रेत	4200
3.	48, 08/13	84	250cft रेत	7000
4.	51, 08/13	84	160cft रेत	4480
5.	52, 08 /13	84	130 cft रेत	3900
6.	54, 08/13	85	200cft रेत,300cftबजरी	12500
7.	56, 08/13	85	200cft रेत,350 cft बजरी	13750
8.	59, 08/13	86	200cft रेत,240 cft बजरी	11000
9.	63 , 08/13	86	170 cft रेत,200cft बजरी	9250
10.	64, 08/13	86	पी.वी.सी.पाइप व वायर	3200
11.	73, 08/13	86	200cft रेत,300cft बजरी	14500
12.	21, 05/15	123	100 cft रेत,	3000
			जोड़ :-	110780
			कुल जोड़ (क+ख):-	₹ 206484